

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)डीएलबी/14/13190-13196

दिनांक: 26-6-2023

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),

स्थानीय निकाय विभाग,

कोटा/जोधपुर/जयपुर/अजमेर/

बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।


विषय:- डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 एवं आदेश 20178 दिनांक 28.11.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक आदेश/पत्र के क्रम में विभागीय पत्र क्रमांक 12231-12520 दिनांक 07.06.2023 के द्वारा डेयरी बूथ का आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय विभाग समस्त राज. में डेयरी बूथ आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कर बूथ आवंटन की रिपोर्ट गूगल शीट पर अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन कुछ निकायों से आंकड़े अभी भी अपेक्षित है।

अतः उक्त आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर वर्तमान प्रगति रिपोर्ट दिए गए लिंक पर जारी गूगल शीट पर अंतिम रूप से आंकड़ों को सत्यापित कर अपडेट करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।



(हिदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)डीएलबी/14/13197-13445 दिनांक: 26-6-2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन एवं शहरी विकास विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, गोपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ. जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।
7. उपायुक्त, यातायात आयुक्तालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचनाएं अविलम्ब उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग को उपलब्ध कराएं।
9. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राज0।
10. प्रोग्रामर (आई.टी.सेल), निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
11. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी